अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
1. जोधाराम पुत्र नाराणराम 2. लादूराम पुत्र डूंगरराम जाखल दोनों जाति जाट, निवासीगण पूनियों की बासनी, तहसील बावडी, जिला जोधपुर		1. अरूण धोलिया पुत्र मोतीराम जाट निवासी पूनियों की बासनी, तहसील बावडी, जिला जोधपुर 2. सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पूनियों की बासनी, तहसील बावडी, जिला जोधपुर 3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बावडी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावडी दिनांक 25 फरवरी 2021 राजस्व प्रकरण संख्या 183/2020 अरूण धोलिया बनाम सरपंच

उपस्थित–

1. श्री बाबूलाल बिश्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
2. श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या एक
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या तीन

निर्णय

दिनांक : 12 जून 2023

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावडी द्वारा प्रकरण संख्या 183/2020 अरूण धोलिया बनाम सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25 फरवरी 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 08 अप्रेल 2021 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर स्वयं को हस्तगत प्रकरण से हितबद्ध होना जाहिर किया और अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया।

अपील से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो. संख्या एक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 व 136 के तहत एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर जाहिर किया कि डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत रिकार्ड ऑनलाइन किये जाने के दौरान ग्राम पूनियों की बासनी स्थित आबादी भूमि खसरा संख्या 3142/6 की तरमीम गलत कर दी गयी, जो सही की जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र के आधार पर प्रकरण संस्थित किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या दो तहसीलदार बावडी द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र का जबाब पेश किया गया जिसमें पटवारी हळका की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान की सुनवाई कर जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 25 फरवरी 2021 को उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया गया, जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर बहस करते हुए अधिवक्ता–अपीलाण्टस ने जाहिर किया कि अपीलाण्टस प्रश्नगत भूमि पर सदभाविक रूप से

काबिज है तथा मौके पर रहवासीय मकान एवं बाडे आदि बने हुए है, खसरा संख्या 3142/6 वर्षो पूर्व आबादी में संपरिवर्तित कर तरमीम कर दी गयी, तरमीम किये जाने से पूर्व व बाद में कई ग्रामवासी आबादी क्षेत्र में बस गये। इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश के जरिये उन्हें अतिक्रमी का दर्जा दिया जा रहा है। इस कारण अपीलाण्ट्स के हित वर्तमान मामले में निहित होने से आलौच्य अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे क्योंकि यदि अपीलाण्ट्स को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है तो वे अपने विधिक अधिकारों से वंचित रह जायेंगे। अधिवक्ता–रेस्पों संख्या एक ने उक्त प्रार्थनापत्र एवं इस संबंध में अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स की बहस का विरोध किया। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा न्यायहित में अपीलाण्ट्स को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध कराया जाना उचित समझती है, अतः प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

तत्पश्चात उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजात के विपरीत पारित किया गया है और पूर्व में की गयी तरमीम को हटाकर नये सिरे से तरमीम किये जाने में भारी त्रुटि कारित की है। खसरा संख्या 3142 में से 10 बीघा भूमि (जहॉ आबादी बसी हुई थी) आबादी में संपरिवर्तित करवायी गयी थी और वहॉ बसे लोगों ने पक्के निर्माण भी कर दिये। जिन्हें सुने बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। उक्त भूमि आबादी में संपरिवर्तित किये जाने के समय ही सही तरमीम कर दी गयी थी, जिसकी नकल 02 सितम्बर 2013 को ली गयी थी, उसमें भी तरमीम बसी हुई आबादी के स्थान पर ही बतायी गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 23 फरवरी 2021 में तहसीलदार बावडी की रिपोर्ट उपलब्ध होना अंकित किया गया है, मगर ऐसी कोई रिपोर्ट पेश करने बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई आदेश ही पारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में बिना किसी आदेश के तहसीलदार बावडी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तत किया जाना मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप का द्योतक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का हवाला देते हुए स्वीकार कर लिया गया जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सद्भावनापूर्वक गलती से काबिज हो गया हो तो उसे नहीं हटाया जाना चाहिये। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि आबादी मे संपरिवर्तन कराया जाना एक सार्वजनिक मुद्दा है, जिसे एक व्यक्ति विशेष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, मगर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र व्यक्ति विशेष द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अंत में अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो. संख्या दो सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करने मे भी त्रुटि की है क्योंकि धारा 109 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्था (पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद) के खिलाफ एवं पंचायती राज संस्था के किसी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध विधिक प्रक्रिया की पालना के बाद ही प्रकरण दर्ज किया जा सकता है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या एक ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और अपील खारिज किये जाने का निवेदन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण संस्थित होने के बाद अप्रार्थी संख्या दो तहसीलदार बावडी को नोटिस जारी किये जाने के बाद ही तहसीलदार बावडी द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र का जबाब पेश किया गया जिसमें पटवारी हळका की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया। उक्त जबाब को ही अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में तहसीलदार की रिपोर्ट के तौर पर उल्लेखित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत त्रुटि सुधार हेतु प्रस्तुत किया गया है, किसी प्रकार की नयी तरमीम अथवा संपरिवर्तन करवाने हेतु कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। त्रुटि सुधार एक रूटीन कार्यवाही है जिसके लिए प्रार्थनापत्र में किसी स्थानीय निकाय अथवा संबंधित कर्मचारी/अधिकारी को पक्षकार कायम करने हेतु किसी प्रकार की विधिक प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने समक्ष उपलब्ध अभिलेख एवं जबाब के आधार पर अपीलाधीन आदेश विधिसम्मतः एवं न्यायोचित पारित किया गया है। अतः अपील खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत रिकार्ड ऑनलाइन किये जाने के दौरान ग्राम पूनियों की बासनी स्थित आबादी भूमि खसरा संख्या 3142/6 की तरमीम गलत होना जाहिर करते हुए प्रार्थी–रेस्पो. संख्या एक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत त्रुटि सुधार हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की नयी तरमीम अथवा संपरिवर्तन करवाने हेतु कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः अदालत हाजा अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या एक के इस तर्क से सहमत है कि त्रुटि सुधार एक रूटीन कार्यवाही है जिसके लिए प्रार्थनापत्र किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और ऐसे प्रार्थनापत्र में किसी स्थानीय निकाय अथवा संबंधित कर्मचारी/अधिकारी को पक्षकार कायम करने हेतु किसी प्रकार की विधिक प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है।

इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि दिनांक 18 दिसम्बर 2020 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थनापत्र के आधार पर प्रकरण संस्थित किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया और आगामी पेशी 28 जनवरी 2021 मुकर्रर की गयी। उक्त मुकर्रर की गयी पेशी के नोटिस तामील होने के बाद अप्रार्थी संख्या दो तहसीलदार बावडी द्वारा अपने पत्र कमांक भू.अ./2021/386 दिनांक 11 फरवरी 2021 के संलग्न उक्त प्रार्थनापत्र का बिन्दुवार जबाब पेश किया गया जिसमें पटवारी हळका की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया। तहसीलदार की अन्य कोई रिपौर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उक्त जबाब को ही अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23 फरवरी

की गयी है। अतः इस संबंध में अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स द्वारा उठाया गया आक्षेप स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत रिकार्ड ऑनलाइन किये जाने के दौरान ग्राम पूनियों की बासनी स्थित आबादी भूमि खसरा संख्या 3142/6 की तरमीम सही नहीं होने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का जबाब पेश करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या दो तहसीलदार बावडी द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत रिकार्ड ऑनलाइन किये जाने के दौरान प्रश्नगत भूमि बाबत की गयी तरमीम तथा राजस्व रिकार्ड नक्शा लट्ठा ट्रेस की उपलब्ध तरमीम में आंशिक भिन्नता होना स्वीकार किया है और पटवारी हळका की रिपोर्ट दिनांक 01 जनवरी 2021 का उल्लेख करते हुए हुए अपने जबाब में तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित बताया है। अपील स्तर पर अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स द्वारा ऐसा कोई ठोस आधार अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर निश्चयपूर्वक यह माना जा सके कि राजस्व रिकार्ड नक्शा लट्ठा के अनुरूप ही प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन तरमीम की गयी है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अदालत हाजा की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पाया जाता है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता एवं औचित्य नजर नहीं आता है। अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25 फरवरी 2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/6/2023

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर